

स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को लागू करना

चर्चा में क्यों?

[स्ट्रीट वेंडर्स \(आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन\) अधिनियम, 2014](#) को 1 मई 2014 को लागू हुए एक दशक बीत चुका है, जो लगभग चार दशकों के कानूनी न्यायशास्त्र और पूरे भारत में स्ट्रीट वेंडर आंदोलनों के अथक प्रयासों के बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बंदि:

- यह अधिनियम [स्ट्रीट वेंडर्स \(SV\)](#) के वेंडिंग अधिकारों को वैध बनाने के लिये अधिनियमित किया गया था।
- इसका उद्देश्य राज्य-स्तरीय नियमों एवं योजनाओं के साथ शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग की सुरक्षा और वनियमन करना तथा उप-कानूनों, योजना व वनियमन के माध्यम से [शहरी स्थानीय निकायों \(ULB\)](#) द्वारा कार्यान्वयन करना है।
- इस अधिनियम में वकिरेताओं और सरकार के वभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा ज़म्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है।
- यह वेंडिंग ज़ोन में सभी 'मौजूदा' वकिरेताओं को समायोजित करने और [वेंडिंग प्रमाण-पत्र \(VC\)](#) जारी करने के लिये प्रतबिद्ध है।
- अधिनियम [टाउन वेंडिंग समितियों \(TVC\)](#) के माध्यम से एक सहभागी शासन संरचना स्थापति करता है।
 - यह अनविर्य है कि स्ट्रीट वेंडर प्रतनिधियों को [TVC सदस्यों में 40%](#) होना चाहिये, जिसमें [33% महिला SV](#) का उप-प्रतनिधित्व होना चाहिये।
 - इन समितियों को वेंडिंग ज़ोन में सभी मौजूदा वकिरेताओं को शामिल करना सुनशिचति करने का कार्य सौपा गया है।
- इसके अतरिकित, अधिनियम शकियातों और वविादों के समाधान के लिये एक तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें [एक्सविलि जज या न्यायकि मजसिदरेट की अधयकषता में एक शकियात नविरण समति](#) की स्थापना का प्रस्ताव है।
- इसमें प्रावधान है कि राज्य/ULB प्रत्येक पाँच वर्ष में कम-से-कम एक बार [SV की पहचान करने के लिये एक सर्वेक्षण आयोजति करेंगे](#)।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिये सरकार की पहल

- [स्वनधि योजना:](#)
 - [स्वनधि \(SVANidhi\) योजना](#) शहरी कषेत्रों के 50 लाख से अधकि स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वति करने के लिये शुरू की गई थी, जनिमें आस-पास के शहरी/ग्रामीण कषेत्रों के लोग भी शामिल थे।
 - इसका उद्देश्य 1,200 रुपए प्रतविरष की राशतिक [कैश-बैंक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटिल लेन-देन](#) को बढावा देना है।
- [नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया:](#)
 - [NASVI](#) एक ऐसा संगठन है जो देश भर के हज़ारों स्ट्रीट वेंडर्स के आजीविका अधिकारों की सुरक्षा के लिये कार्य कर रहा है।
 - [NASVI](#) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में स्ट्रीट वेंडर संगठनों को एक साथ लाना था ताकि वृहद् स्तर पर बदलावों के लिये सामूहकि रूप से प्रयास कया जा सके।